123

संख्या :   /XLI-1/16–51(प्रशि.)/2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी(नैनीताल)।

तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक 13 अक्टूबर, 2016

विषयः प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्याः 223/XLI-1/15–51(प्रशि0)/2014 दिनांक 26.03.2015 तथा शासनादेश संख्या–179/XLI-1/16–51(प्रशि0)/2014, दिनांक 03.03.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु चयनित 23 संस्थाओं में से संलग्न सूची के अनुसार आई0टी0आई0 संस्थाओं के अनावासीय भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को पूर्व निर्गत धनराशि को सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधानित धनराशि में से ₹ 400.00 लाख (₹ चार करोड़ मात्र) की वित्तीय वर्ष 2016–17 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान करते है।

2– किसी भी स्थिति में कार्यदायी संस्थान द्वारा पार्किंग ऑफ फण्ड की स्थिति उत्पन्न नहीं की जायेगी। यदि वर्तमान में स्वीकृति धनराशि को विभाग अथवा कार्यदायी संस्थान द्वारा कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में रखा जाता है तो उस पर अर्जित ब्याज को यथासमय राजकोष/कोषागार की सुसंगत प्राप्ति शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

3– शेष शर्तें/प्रतिबन्ध उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या 223/XLI-1/15–51 (प्रशि)/2014 दिनांक 26.03.2015 के अनुसार यथावत लाग होंगे। यह निर्देशित किया जाता है कि तृतीय पक्ष से निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच करा कर आख्या उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या–16 के 'आयोजनागत/पूंजीगत' पक्ष के लेखाशीर्षक "4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण –03 आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण (नाबाडी) के अन्तर्गत मानक मद" 24–वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाले जायेगा।

5– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई0डी0 S.......... के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या. 111(P)/XXVII(5)/2016, दिनांक. 30 सितम्बर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या : 468 (1)/ XLI-1/16–51(प्रशि.)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. उपमहाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राजपुर रोड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाए, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित जिलाधिकारी।
6. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या : /XLI-1/16–51(प्रशि.)/2014, दिनांक ,2016 का संलग्नक

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	जनपद		नाबार्ड के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों की अद्यतन स्थिति				
			कार्यदायी संस्थान	आगणन स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लागत (लाख में)	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख में)	शेष धनराशि (लाख मे)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	ओखलकाण्डा	नैनीताल	उ0प्र0रा0नि0निगम	2014–15	181.29	84.39	96.9	28.90
2	बिन्दुखत्ता		उ0प्र0रा0नि0निगम	2014–15	154.95	106.48	48.47	24.20
3	गदरपुर	उधमसिंह नगर	उ0प्र0रा0नि0निगम	2014–15	141.81	72.54	69.27	34.64
4	वि0पंतनगर		उ0प्र0रा0नि0निगम	2014–15	137.88	91.36	46.52	23.26
5	बाजपुर		उ0प्र0रा0नि0निगम	2014–15	809.58	442.87	366.71	183.36
6	अंजनीसैंण	टिहरी	उ0प्र0रा0नि0निगम	2014–15	193.53	88.06	105.47	52.74
7	कांसखेत	पौड़ी	उ0प्र0रा0नि0निगम	2014–15	193.96	88.19	105.77	52.90
योग					1813	973.89	839.11	400

कुल धनराशि (रू0 चार करोड़ मात्र)

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।